



विज्ञप्ति

गर्भावस्था पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 सहपठित नियम 2014 (पी0सी0-पी0एन0डी0टी0 कार्यक्रम) के अन्तर्गत राज्य स्तर पर विभिन्न समितियों हेतु (पदेन सदस्यों को छोड़कर) अन्य नवीन सदस्यों का चयन किये जाने हेतु अधिनियम में दी गयी अर्हता/शैक्षिक योग्यता के अनुसार इच्छुक व्यक्तियों/चिकित्सा विशेषज्ञों/सामाजिक कार्यकर्ताओं से जीवनवृत (बायोडाटा) आमंत्रित किये जाते हैं—

राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड [धारा 16 (क) के अन्तर्गत गठन] —

- 01 विख्यात समाज विज्ञानी एवं 01 विधि विशेषज्ञ
- 01 महिला सामाजिक कार्यकर्ता—स्वैच्छिक संस्था से
- 01 स्त्री रोग विशेषज्ञ (Obstetrician)
- 01 बाल रोग विशेषज्ञ (Pediatrician)
- 01 विकिरण विज्ञानी (Radiologist)

सलाहकार समिति [धारा 17 (5) (6) के अन्तर्गत गठन] —

- 01 विधि विशेषज्ञ
- 03 सामाजिक कार्यकर्ता

बहुसदस्यीय राज्य समुचित प्राधिकारी —

- 01 विख्यात महिला जो कि महिला संगठन का प्रतिनिधित्व करती हो।

उपरोक्त चयनित सदस्यगण स्वैच्छिक सदस्यता ग्रहण करेंगे, जिनका कार्यकाल 03 वर्ष होगा, सदस्यता के लिये आवेदन विज्ञप्ति जारी होने के 15 कार्यदिवसों के भीतर कार्यालय अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी, पी0सी0-पी0एन0डी0टी0, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय परिसर, पो0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून के पते पर डाक अथवा स्वयं उपस्थित होकर किया जा सकता है।

निदेशक—राज्य समुचित प्राधिकारी (पी0सी0-पी0एन0डी0टी0) उत्तराखण्ड